परिशिष्ट–"अ"

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 395] भोपाल, शनिवार, दिनांक 31 अगस्त 2013—भाद्र 9, शक 1935

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्र. एफ-22-41-2011-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 111 के साथ पठित धारा 212 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 9 जुलाई 2013 को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा तथा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, निम्नलिखित संशोधन करती है:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 185 में, उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(3) उपनियम (1) तथा (2) के उपबंध किसी अग्नि शमन यान के चालक को जबकि वह आग बुझाने के लिए यान को ले जा रहा हो या किसी एम्बुलेन्स के चालक को जबकि वह गंभीर रूप से बीमार रोगी को ले जा रहा हो लागू नहीं होंगे.

(4) किसी भी मोटरयान का कोई भी चालक किसी भोंपू (साइरन)/हूटर का प्रयोग नहीं करेगा. इस उपनियम के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे, अर्थात् :—

(क) राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष की एस्कोर्टिंग में लगे हुए सुरक्षा यान;

(ख) सेना/पुलिस/कार्यपालिक दण्डाधिकारी का यान,. जबकि उनकी अधिकारिता में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिये लगा हो;

(ग) कोई अग्निशमन यान, जबकि आग बुझाने के लिए ले जाते समय; और

(घ) कोई एम्बुलेंस, उसके किसी गंभीर रूप से बीमार रोगी को ले जाते समय."

No. F-22-41-2011-VIII.—In exercise of the powers conferred by Section 111 read with Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), The State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh, Motor Vehicle Rules, 1994 the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary), dated 9th July, 2013 as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in the rule 185, for sub-rule (3), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(3) The provisions of sub-rule (1) and (2) shall not apply to the driver of a fire brigade vehicle while proceeding to extinguish fire or the driver of an ambulance while carrying seriously ill patient.

(4) No driver of a motor vehicle shall use a siren/hooter. The provisions of this sub-rule shall not apply to the following, namely :—

(a) security vehicle engaged in escorting of Governor, Chief Minister, Chief Justice of High Court or Speaker of the State Legislative Assembly;

(b) a vehicle of the Army/Police/Executive Magistrate, when engaged in maintaining law and order situation in their jurisdiction;

(c) a fire-brigade vehicle while proceeding to extinguish fire; and

(d) an ambulance while carrying a seriously ill patient;"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

(ग) यदि प्राधिकारी द्वारा कोई डिजाईन संतोषप्रद पाई गई है तो वह प्राधिकार युक्तियुक्त सुरक्षा के अनुरूप लादे जाने वाले अधिकतम भार तथा अक्षदण्ड वजन के संबंध में अपनी सिफारिशों के साथ अनुमोदित अभिकल्प के विनिर्देशों और संगणनाओं की दो-दो प्रतियां राज्य परिवहन अधिकारी को लौटा देगा :

परन्तु जहां किसी अनुयान का अभिकल्प किसी अन्य राज्य में किसी सक्षम या विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है वहां, ऐसे अभिकल्प का अनुमोदन कराया जाना इस राज्य में आवश्यक नहीं होगा।

(घ) अपने अभिकल्प के अनुमोदित हो जाने पर, आवेदक यदि अनुयानों का विनिर्माण व्यापार के लिए करना चाहता है, तो उस अनुमोदित अभिकल्प का प्रकार, विनिर्देशों तथा संगणनाओं की उतनी अतिरिक्त प्रतियां राज्य परिवहन अधिकारी को भेजेगा जितनी प्रतियां वह प्राधिकारी विभिन्न रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों को उनके अभिलेख के लिए भेजने की अपेक्षा करें।

(3) अभिकल्प (डिजाइन) की ऐसी जाँच करने के लिए प्रभार्य फीस निम्नानुसार होगी—

(1) एकल अक्षदण्ड अनुयान (सिंगल एक्सल ट्रेलर) के लिए रुपये एक हजार।

(2) दोहरे अक्षदण्ड अनुयान (डबल एक्सल ट्रेलर) के लिए रुपये एक हजार पांच सौ।

फीस का संदाय आवेदन के साथ नकद किया जायेगा और ऐसी फीस वापिसी योग्य नहीं होगी।

185. ध्वनि संकेतों के उपयोग का प्रतिषेध या निर्बन्धन.—(1) कोई भी मोटर यान का चालक यान में लगे भोंपू (हार्न) अथवा श्रव्य चेतावनी देने के अन्य साधन को जो यान में लगे हैं अनावश्यक रूप से या लगातार अथवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त रूप से जितनी देर तक बजाना आवश्यक हो उससे उसे अधिक देर तक न तो बजाएगा या बजवाएगा या न दूसरे किसी व्यक्ति को ही ऐसा करने देगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट क्षेत्र में प्रसारित होने वाले एक अथवा अधिक प्रादेशिक समाचार पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित करके और अधिनियम की अनुसूची में दिए गए अनिवार्य यातायात संकेत क्रमांक एम-18 का उचित स्थानों पर परिनिर्माण करके, मोटर यान चालकों द्वारा किसी भोंपू घन्टी (भोंग) या श्रव्य चेतावनी देने के लिए अन्य साधन का उपयोग जिले के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में और ऐसे घन्टों के दौरान जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, करने का प्रतिषेध कर सकेगा :

परन्तु जब जिला मजिस्ट्रेट किसी भोंपू, घन्टी (भोंग) अथवा श्रव्य चेतावनी के अन्य साधन का कतिपय विनिर्दिष्ट घन्टों के दौरान उपयोग करने का प्रतिषेध करता है वह यातायात संकेत के नीचे एक ऐसा उपयुक्त सूचना हिन्दी एवं अंग्रेजी में चिपकवाएगा जिसमें उन घन्टों का उल्लेख किया जाएगा, जिनमें इस प्रकार के उपयोग का प्रतिषेध किया गया है।

[[(3) उपनियम (1) तथा (2) के उपबंध किसी अग्नि शमन यान के चालक को जबकि वह आग बुझाने के लिए यान को ले जा रहा हो या किसी एम्बुलेन्स के चालक को जबकि वह गंभीर रूप से बीमार रोगी को ले जा रहा हो लागू नहीं होंगे।

(4) किसी भी मोटरयान का कोई भी चालक किसी भोंपू (साइरन)/हूटर का प्रयोग नहीं करेगा। इस उपनियम के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे, अर्थात् :—

(क) राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष की एस्कोर्टिंग में लगे हुए सुरक्षा यान;

(ख) सेना/पुलिस/कार्यपालिक दण्डाधिकारी का यान, जबकि उनकी अधिकारिता में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए लगा हो;

(ग) कोई अग्निशमन यान, जबकि आग बुझाने के लिए ले जाते समय; और

(घ) कोई एम्बुलेंस, उसके किसी गंभीर रूप से बीमार रोगी को ले जाते समय।]]

1. **अधिसूचना क्रमांक एफ-22-41-2011-आठ, दिनांक 31 अगस्त, 2013, म० प्र० राजपत्र, असा०, दिनांक 31.8.2013, पृष्ठ 789 पर प्रकाशित द्वारा प्रतिस्थापित।**

सहायक पुलिस महानिरीक्षक
पी.टी.आर.आई. भोपाल